भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *211**

**उत्तर देने की तारीख 13.03.2025**

**उद्यम स्थापित करने के लिए एमएसएमई योजनाएं**

***211. श्रीमती भारती पारधीः**

**श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आम आदमी की आसान ऋण के उपयोग के माध्यम से उद्यम स्थापित करने में सहायता करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना ग्रामीण लोगों के लिए प्रभावी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश तथा आकांक्षी जिले उस्मानाबाद में इनके तहत कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) क्या एमएसएमई क्षेत्र की योजनाओं से देश में स्टार्ट-अप की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्टार्ट-अप/व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**

**(श्री जीतन राम मांझी)**

**(क) से (च):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. †*211 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (ग):** सरकार आम आदमी को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:

**(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए एक स्कीम है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, लाभार्थी विभिन्न भौगोलिक और जनसांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

शुभारंभ से अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक) तक, पीएमईजीपी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7.98 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 22,506.4 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक) के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएमईजीपी का क्षेत्र-वार कार्य-प्रदर्शन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के कारण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बजट का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग सृजित मांग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण के आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और उस्मानाबाद आकांक्षी जिले में संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

**(ii) पीएम विश्वकर्मा**: पीएम विश्वकर्मा स्कीम परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने हेतु समग्र स्कीम है जिसमें वे शामिल किए गए 18 व्यापारों में हाथ और औजारों का उपयोग करके कार्य करते हैं। यह स्कीम निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

i. पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता
ii. कौशल उन्नयन
iii. टूल किट प्रोत्साहन
iv. ऋण सहायता
v. डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन
vi. विपणन सहायता

चूंकि पीएम विश्वकर्मा एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। इसके शुभारंभ के बाद से, दिनांक 10.03.2025 तक, मध्य प्रदेश राज्य से 2.67 लाख आवेदन

सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं, और स्कीम के लाभ शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त धाराशिव, महाराष्ट्र से 2,665 आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं, और स्कीम के लाभ शुरू किए गए हैं।

**(घ) से (ङ):** देश के स्टार्टअप पारितंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ पारितंत्र बनाने के इरादे से सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की शुरुआत की गई। 31 जनवरी, 2025 तक 1,61,150 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार तीन स्कीमों नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि सभी श्रेणियों और क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

**(च):** पिछले तीन वर्षों के दौरान डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सृजित की गई प्रत्यक्ष-नौकरियों (स्व-रिपोर्ट) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुबंध- III** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित सृजित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी का राज्य-वार कार्य-निष्पादन **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

********

**दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए** लोक **सभा के तारांकित प्रश्न सं †*211 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 - वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक) से सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएमईजीपी का क्षेत्र-वार कार्य-प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | ग्रामीण | | | शहरी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सहायता प्राप्त इकाइयों की सं. | सहायता प्राप्त इकाइयों का % | एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में) | सहायता प्राप्त इकाइयों की सं. | सहायता प्राप्त इकाइयों का % | एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में) |
| 2021-22 | 84,696 | **82%** | 2,585.86 | 18,523 | **18%** | 391.80 |
| 2022-23 | 68,470 | **80%** | 2,323.48 | 16,697 | **20%** | 398.69 |
| 2023-24 | 68,939 | **77%** | 2,546.19 | 20,179 | **23%** | 547.68 |
| 2024-25 (दिनांक 10.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार) | 32,968 | **81%** | 1,368.58 | 7,732 | **19%** | 237.18 |

**दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं †*211 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II**

मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित मार्जिन मनी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या का ब्यौरा:

| वित्तीय वर्ष | संवितरित मार्जिन मनी (रुपए करोड़ में) | सहायता प्राप्त इकाइयों की सं. |
|---|---|---|
| 2021-22 | 209.61 | 8,082 |
| 2022-23 | 181.30 | 5,957 |
| 2023-24 | 185.21 | 5,292 |

उस्मानाबाद आकांक्षी जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित मार्जिन मनी और सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

| वित्तीय वर्ष | संवितरित मार्जिन मनी (रु. करोड़ में) | सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|
| 2021-22 | 1.86 | 102 |
| 2022-23 | 1.82 | 93 |
| 2023-24 | 1.46 | 53 |

**दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं †*211 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III**

पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के दौरान डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सृजित प्रत्यक्ष-नौकरियों (स्व-रिपोर्ट) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण:

| राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | कैलेंडर वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 71 | 85 | 137 |
| आंध्र प्रदेश | 3,062 | 5,750 | 5,259 |
| अरुणाचल प्रदेश | 55 | 185 | 252 |
| असम | 2,623 | 3,350 | 3,418 |
| बिहार | 4,692 | 9,061 | 7,378 |
| चंडीगढ़ | 898 | 1,324 | 875 |
| छत्तीसगढ़ | 2,214 | 3,239 | 4,774 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 147 | 138 | 144 |
| दिल्ली | 31,880 | 38,483 | 29,948 |
| गोवा | 887 | 824 | 879 |
| गुजरात | 23,944 | 48,214 | 35,834 |
| हरियाणा | 13,849 | 26,115 | 23,232 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,029 | 1,089 | 969 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 1,306 | 2,437 | 2,164 |
| झारखंड | 1,924 | 3,525 | 3,125 |
| कर्नाटक | 24,898 | 35,273 | 28,795 |
| केरल | 10,345 | 11,788 | 10,267 |
| लद्दाख | 52 | 44 | 31 |
| लक्षद्वीप | 0 | 31 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 11,748 | 12,238 | 10,353 |
| महाराष्ट्र | 52,143 | 65,199 | 57,505 |
| मणिपुर | 309 | 195 | 385 |
| मेघालय | 61 | 157 | 106 |
| मिजोरम | 106 | 79 | 86 |

| राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | कैलेंडर वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| नागालैंड | 71 | 239 | 3,697 |
| ओडिशा | 4,632 | 6,532 | 10,797 |
| पुदुचेरी | 237 | 568 | 213 |
| पंजाब | 2,319 | 4,983 | 3,527 |
| राजस्थान | 11,639 | 13,748 | 11,372 |
| सिक्किम | 22 | 8 | 0 |
| तमिलनाडु | 18,147 | 30,620 | 26,223 |
| तेलंगाना | 15,081 | 18,509 | 16,615 |
| त्रिपुरा | 202 | 193 | 313 |
| उत्तर प्रदेश | 23,181 | 33,992 | 34,807 |
| उत्तराखंड | 1,684 | 2,401 | 7,331 |
| पश्चिम बंगाल | 9,462 | 11,565 | 11,110 |
| **कुल** | **274,920** | **392,181** | **351,921** |

**दिनांक 13.03.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं †*211 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- IV**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमानित सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा:

| क्र.सं. | राज्य | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान निकोबार | 1,296 | 968 | 1,080 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 19,816 | 24,584 | 44,616 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,568 | 1,264 | 1,352 |
| 4 | असम | 30,840 | 20,768 | 19,336 |
| 5 | बिहार | 19,816 | 35,672 | 54,696 |
| 6 | चंडीगढ़ | 168 | 120 | 80 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 24,160 | 20,344 | 19,032 |
| 8 | दिल्ली | 800 | 576 | 400 |
| 9 | गोवा | 696 | 528 | 544 |
| 10 | गुजरात* | 33144 | 24568 | 24000 |
| 11 | हरियाणा | 13,808 | 12,472 | 11,184 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 10,192 | 7,440 | 7,792 |
| 13 | जम्मू कश्मीर | 173,184 | 96,184 | 120,520 |
| 14 | झारखंड | 13,712 | 14,808 | 16,808 |
| 15 | कर्नाटक | 47,016 | 44,944 | 37,376 |
| 16 | केरल | 22,312 | 25,032 | 27,112 |
| 17 | लद्दाख | 2,360 | 728 | 976 |
| 18 | लक्षद्वीप | 56 | 16 | - |
| 19 | मध्य प्रदेश | 64,656 | 47,656 | 42,336 |
| 20 | महाराष्ट्र** | 33024 | 29000 | 22128 |
| 21 | मणिपुर | 9,112 | 4,360 | 2,784 |
| 22 | मेघालय | 5,592 | 2,448 | 2,240 |
| 23 | मिजोरम | 5,200 | 3,296 | 3,208 |
| 24 | नागालैंड | 9,928 | 3,752 | 4,136 |
| 25 | ओडिशा | 34,408 | 31,040 | 23,800 |
| 26 | पुदुचेरी | 528 | 200 | 240 |
| 27 | पंजाब | 14,320 | 12,512 | 11,752 |
| 28 | राजस्थान | 20,792 | 16,296 | 13,424 |
| 29 | सिक्किम | 680 | 456 | 1,056 |
| 30 | तमिलनाडु | 47,776 | 49,120 | 54,512 |
| 31 | तेलंगाना | 23,248 | 20,320 | 20,024 |

| क्र.सं. | राज्य | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | त्रिपुरा | 7,664 | 5,624 | 4,704 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 100,752 | 92,808 | 93,512 |
| 34 | उत्तराखंड | 14,688 | 14,424 | 10,832 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 18,440 | 17,008 | 15,352 |
| **कुल** | | **825,752** | **681,336** | **712,944** |

** दमन और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित*